दिनांक 30.09.2019
प्रेस विज्ञप्ति 37/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

गॉधी जयन्ती, 150 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वामा सारथी, पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रतियोगिता एवं वर्कशाप का आयोजन

श्रीमती नीलम सिंह, अध्यक्षा वामा सारथी/उ0प्र0 पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के निर्देशन में गॉधी जयन्ती, 150 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज दिनांक 30.09.2019 को पुलिस मार्डन स्कूल रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में रंगोली, कैलीग्राफी, पॉटरी एवं पेपर वेस्ट वर्कशाप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उक्त प्रतियोगिता में पुलिस मार्डन स्कूल के शिक्षारत छात्र/छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

इस अवसर पर श्रीमती शालिनी, श्रीमती चेतना गुप्ता, श्रीमती मेघना, श्रीमती रिमी बशाल, श्रीमती पुनीता सिंह एवं श्रीमती शुभांगी मल्होत्रा उपस्थित रही। इसके अतिरिक्त श्रीमती नेहा अग्रवाल, कैलीग्राफी एवं श्रीमती सीमा कुन्तल पेपर वेस्ट के प्रशिक्षक के रूप में व श्रीमती एस0एस0रिजवी प्रधानाचार्य पुलिस मार्डन स्कूल पुलिस लाइन लखनऊ उपस्थित रही।

उल्लेखनीय है कि गॉधी जयन्ती, 150 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वामा सारथी/उ0प्र0 पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दिनांक 30.09.2019 से दिनांक 02.10.2019 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

दिनांक 30.09.2019
प्रेस विज्ञप्ति 36/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में निर्गत गैर जमानतीय वारण्ट के निष्पादन के सम्बन्ध में दिये गये आवश्यक दिशा–निर्देश

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0 को निर्देशित किया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों पर निर्गत गैर जमानतीय वारण्टों के तामीला तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निम्नानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेः–

- मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्टों का तामीला कर दोषसिद्ध एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाये।
- अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर पर टीम के गठन का औपचारिक आदेश निर्गत किये जाये तथा टीम लीडर को यह दायित्व दिया जाये कि वह अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु किये गये प्रयासों की तिथिवार लेखबद्ध करें तथा नियमानुसार रोचनामचाआम में अंकित करायें।
- जनपद स्तर पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित प्रकरणों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की समीक्षा हेतु जनपद के एक राजपत्रित अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाये तथा नामित अधिकारी को यह दायित्व सौपा जाये कि वह अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा करते हुए किये गये प्रयासों का तिथिवार अंकन करायें और सम्बन्धित टीम लीडर को आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करें।
- यदि किसी प्रकरण में लुकआउट सर्कुलर, रेड कार्नर नोटिस अथवा प्रत्यर्पण की

आवश्यकता हो तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस मुख्यालय को संदर्भित किया जाये।

- जनपदों में मॉनिटरिंग सेल की मासिक बैठक में विभिन्न न्यायालय से निर्गत होने वाले समस्त गैर जमानतीय वारण्टों के तामीला से सम्बन्धित प्रकरणों पर विचार–विमर्श करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इस सम्बन्ध में परिपत्र निर्गत कर आप सभी को पूर्व में आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत गैर, जमानतीय वारण्ट के तामीला के सम्बन्ध में उपरोक्त निर्देशों का भली–भॉति अध्ययन कर कार्यशालायें आयोजित करायें और यह भी सुनिश्चित करायें कि जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी इस परिपत्र से पूर्णतः अवगत हों एवं दिये गये निर्देशों का अक्षरशः गम्भीरता से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा बाढ राहत एवं बचाव कार्य हेतु की गयी गोष्ठी में दिये गये निर्देश

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 30.09.2019 पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार स्थित सभागार में बाढ से प्रभावित जनपदों में राहत एवं बचाव कार्य हेतु श्री पी0वी0रामाशास्त्री अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था, श्री बिनोद कुमार सिंह अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी, श्री असीम अरूण अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें/यू0पी0 100, श्री प्रवीण कुमार पुलिस महानिरीक्षक कानून–व्यवस्था, श्री अखिलेश मीणा पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी मुख्यालय, श्रीमती सुजाता सिंह सेनानायक एसडीआरएफ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गोष्ठी की गयी।

बाढ प्रभावित जनपदों में बाढ से बचाव हेतु पीएसी की 17 कम्पनियों को प्रशिक्षित कर संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं तथा एसडीआरएफ की कम्पनियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। बाढ प्रभावित जनपदों में व्यवस्थापित कुल 15 कम्पनी बाढ़ राहत पीएसी एवं 05 टीमें एसडीआरएफ एवं उपलब्ध संसाधनों सहित बाढ राहत तथा बचाव कार्यो की समीक्षा की गयी एवं पूर्व में निर्गत निर्देशो के क्रम में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए निर्देश दिये गये :–

- नदियों के किनारे वाले थानों में स्थापित बाढ़ राहत चौकियों का सृदृढ़ीकरण।
- नदियों के किनारे कटान वाले स्थानों पर सर्तक दृष्टि रखना तथा जिला प्रशासन से निरन्तर समन्वय बनाये रखना।
- डी0सी0आर0 में स्थापित बाढ़ नियंत्रण हेतु पृथक यूनिट को गत्यात्मक बनाये रखना तथा मेडिकल सुविधाओं, राजस्व विभाग, बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ आदि से समन्वय बनाये रखना।
- नदियों के किनारे थाना/चौकियों में जाल, ट्यूब, रस्सी, टॉर्च,ड्रैगनलाइट की व्यवस्था लगातार सुनिश्चित रखना।
- कार्ययोजना के तहत क्षेत्र के समस्त संभ्रान्त व्यक्तियों/प्रधानों से लगातार सम्पर्क बनाये रखना तथा उनके मोबाइल नं0 से इस हेतु निरन्तर संवाद स्थापित रखना।
- प्रभावित क्षेत्र में पुर्नव्यवस्थापन कैम्प में खाने/पीने/ठहरने /शौचालय इत्यादि की समुचित व्यवस्था की निरन्तर मानीटरिंग करना।
- बाढ प्रभावित क्षेत्र में कार्य करने वाली कुछ प्रतिष्ठित एन0जी0ओ0 से समन्वय स्थापित कर उनका यथासम्भव सहयोग प्राप्त करना।
- सर्पदंस एवं जहरीले कीड़ों के काटने की प्रतिरोधक दवाओं का कैम्प पर समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से निरन्तर सम्पर्क स्थापित कर आवशयक कार्यवाही करना।
- कैम्प स्थान पर स्थापित मोटरेबुल टावर लाइट की समुचित यवस्था बनाये रखना।
- एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 से निरन्तर समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना के तहत कार्यवाही करना।
- नेपाल के सीमावर्ती जनपदों से लाइजेनिंग कर उनके द्वारा नदियों में पानी कब छोड़ा जायेगा का पूर्व से सूचना प्राप्त किया जाना।
- जिलास्तर पर स्थापित बाढ़ नियंत्रण हेतु समर्पित कन्ट्रोलरूम पर नियुक्त समस्त कर्मियों को लगातार ब्रीफ करना।
- सभी सम्बन्धित विभागों के लाइजेनिंग अधिकारियों के बनाये गये वाट्सअप ग्रुप पर प्राप्त सूचनाओं का अनुश्रवण करना।
- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हो रही प्रत्येक गतिविधियों पर निरन्तर सतर्क दृष्टि रखी जाये तथा किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सर्वसम्बन्धित को सक्रिय करते हुये स्थिति नियंत्रित की जाय।

पुलिस

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सड़क किनारे घायलवस्था में युवती को उपचार हेतु भिजवाया अस्पताल

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 अपने निवास 1, तिलक मार्ग, लखनऊ से आज दिनांक 30—09—2019 को प्रातः कार्यालय पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार आ रहे थे। दिलकुशा से पिपराघाट रोड पर रास्ते में एक युवती स्कूटी सहित रोड के किनारे घायलावस्था में देखकर पुलिस महानिदेशक द्वारा तत्काल अपने वाहन को रोक कर घायल युवती को सरकारी वाहन से प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, और युवती के परिजनों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है।

श्री सत्येन्द्र कुमार कौल, अपर पुलिस महानिदेशक एवं श्री शरद सचान पुलिस महानिरीक्षक, के सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन

आज दिनांक 30–09–2019 को श्री सत्येन्द्र कुमार कौल, अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष जॉच श्री शरद सचार, पुलिस महानिरीक्षक, पी0ए0सी0 के सेवानिवृत्ति पर पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर, लखनऊ में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर **श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0** द्वारा शरद सचान को माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए उनके एवं उनके परिवार के सुख, समृद्धि एवं सुखद भविष्य की कामना की गयी। विदाई समारोह में पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 सहित लखनऊ में नियुक्त अन्य पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे।

एसटीएफ : रूपये 50,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी ललित पुत्र छोटे लाल मथुरा से गिरफ्तार।

दिनांक 29—09—2019 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को, हत्या की घटना को अंजाम देने वाले तथा रूपये 50,000/—के पुरस्कार घोषित अपराधी ललित पुत्र छोटे लाल को मथुरा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

ललित पुत्र छोटे लाल, निवासी अकबरपुर सिवाय, थाना बरसाना, जनपद—मथुरा हाल निवासी अटल्ला चुंगी, थाना वृन्दावन, मथुरा।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत दिनों से कुख्यात फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर चोरी, लूट, अपहरण, हत्या करने व भयादोहन आदि अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में श्री अमिताभ यश, पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा श्री राजीव नारायण मिश्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ एवं श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 मेरठ को निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में श्री श्याम कान्त, पुलिस उपाधीक्षक, के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना तंत्र को सक्रिय करके अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि रूपये 50,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी ललित पुत्र छोटे लाल निवासी उपरोक्त जोकि थाना मॉट जनपद मथुरा से हत्या जैसे अपराध मे वॉछित होने के फलस्वरूप लगातार फरार चल रहा है, यमुना एक्सप्रेस वे से मथुरा में प्रवेश करने वाला है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम मुखबिर को साथ लेकर यमुना एक्सप्रेस—वे के मथुरा कट पर पहॅुची तभी प्राइवेट कैब से कुछ यात्री मथुरा में प्रवेश करने हेतु यमुना एक्सप्रेस वे पर उतरकर नीचे की ओर चले गये तभी मुखबिर के इशारे पर रू0 50,000/—का इनामी अपराधी ललित पुत्र छोटे लाल को एस0टी0एफ0 टीम द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ करने पर रूपये 50,000/— पुरस्कार घोषित अभियुक्त ललित पुत्र छोटे लाल ने बताया कि वह अकबरपुर सिवाय थाना बरसाना जनपद मथुरा का मूल निवासी है तथा अटल्ला चुंगी थाना वृन्दावन, मथुरा में रह रहा था। ललित पुत्र छोटे लाल ने स्पष्ट करते हुये बताया कि वह थाना मॉट जनपद मथुरा में हत्या से सम्बन्धित मु0अ0सं0 131/2019 धारा— 302/201/34/120बी भादवि में वॉछित चल रहा था तथा अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये वह हरिद्वार में चला गया था। उसे अपने परिवार को देखे हुये काफी समय हो गया था, तो वह आज अपने परिवार से मिलने मथुरा आया था। अन्य अपराधों के बारे में छानबीन की जा रही है।

अभियुक्त ललित पुत्र छोटे लाल का ज्ञात आपराधिक इतिहासः—

क0सं0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	131/ 19	302/201/34/120 बी भादवि	मॉट	मथुरा

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त को थाना मॉट, मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 131/2019 धारा 302/201/34/120 बी भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद बुलन्दशहर/थाना औरंगाबाद

- **04 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी के 10 दो पहिया वाहन**
- **03 तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 30.09.2019 को थाना औरंगाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पवसरा रोड मढका के पास चेकिंग के दौरान 04 शातिर वाहन चोर 1.बलराम, 2.शैलेन्द्र उर्फ शीलू, 3.जयप्रकाश उर्फ मिंटू, 4.शकील को गिरफ्तार किया गया। मौके से अन्य अभियुक्त फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी की 08 बुलेट मोटर साइकिल व 02 स्कूटी, 03 तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद बरामद हुए।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि दिल्ली व जनपद गाजियाबाद, नोएडा, बुलन्दशहर व आसपास के जनपदों से वाहनों की चोरी कर उनकी नम्बर प्लेट बदलकर, ग्राहक मिलने पर वाहनों को बेच देते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा वाहन चोरी की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना औरंगाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. बलराम निवासी पसौली थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. शैलेन्द्र उर्फ शीलू निवासी पसौली थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
3. जयप्रकाश उर्फ मिंटू निवासी सैदपुरा थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
4. शकील निवासी लखावटी थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1. चोरी की 08 बुलेट मोटर साइकिल
2. चोरी की 02 स्कूटी
3. 03 तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29/30.09.2019 की रात्रि में थाना खुर्जानगर पुलिस टीम द्वारा सीकरी बम्बे पुल पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी लोकेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अलीगढ़ व बुलन्दशहर के विभिन्न थानों में चोरी, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना खुर्जानगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1213/2018 धारा 380 भादवि, मु0अ0सं0 1240/2018 धारा 380 भादवि व मु0अ0सं0 1387/18 धारा 379/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. लोकेश निवासी कन्होई थाना गभाना जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1. 01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस
2. चोरी की 01 मोटर साइकिल

जनपद शामली/थाना कैराना

- **40 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **05 किलो डोडापोस्ता**
- **01 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस**
- **चोरी की मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29/30.09.2019 की रात्रि थाना कैराना पुलिस टीम द्वारा खुरगान चौराहे पर चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर मोटर साइकिल सवार पुरस्कार घोषित अपराधी अंकित को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 05 किलो डोडापोस्ता, 01 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस, चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध हरियाणा प्रान्त व जनपद सहारनपुर, शामली के विभिन्न थानों में चोरी, डकैती, विद्युत एक्ट, एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद सहारनपुर से 15 हजार रू0 एवं जनपद शामली से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने चोरी सहित अन्य कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना कैराना पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अंकित निवासी ग्राम अकबरपुर सुनहेटी थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी

1. 05 किलो डोडापोस्ता
2. 01 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस
3. चोरी की मोटर साइकिल

जनपद एटा/थाना कोतवाली नगर

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 30.09.2019 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अलीगंज तिराहे से पुरस्कार घोषित अपराधी राहुल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के थाना कोतवाली नगर पर चोरी व गैंगस्टर एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 864/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. राहुल निवासी वर्मानगर थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।

जनपद एटा/थाना कोतवाली नगर

- **15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 30.09.2019 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अलीगंज तिराहे से पुरस्कार घोषित अपराधी सन्नी उर्फ अब्दुल रहीम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1241/2019 धारा 380/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सन्नी उर्फ अब्दुल रहीम निवासी मानपुर थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.09.2019 की रात्रि थाना मुजफ्फरनगर थाना बुढाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रजवाहे की पुलिया पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध मोटर साइकिल सवारों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, जिसमें कान्स0 सतीश कुमार घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी रिजवान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से 02 अन्य बदमाश फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना बुढाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 413/2019 धारा 307 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 10 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बुढाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रिजवान निवासी ग्राम जौला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1. 01 तमंचा, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस
2. 01 मोटर साइकिल

जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 देशी पिस्टल 32 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.09.2019 की रात्रि में थाना सिकन्द्राबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भटपुरा के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध मोटर साइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में शातिर अभियुक्त सुलेमान उर्फ बल्लू उर्फ रोहित घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 देशी पिस्टल 32 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध दिल्ली व जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, हत्या, फिरौती हेतु अपहरण व आर्म्स एक्ट आदि के 30 अभियोग पंजीकृत हैं ।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सुलेमान उर्फ बल्लू उर्फ रोहित निवासी मो0कोट कस्बा व थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1. 01 देशी पिस्टल 32 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस
2. 01 मोटर साइकिल

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खतौली

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.09.2019 की रात्रि थाना खतौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुआडा रोड पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध मोटर साइकिल सवारों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में शातिर अपराधी उस्मान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से 01 अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध हरिद्वारा व जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में डकैती, हत्या का प्रयास, फिरौती हेतु अपहरण, गुण्ड़ा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खतौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. उस्मान निवासी ग्राम तेवडा थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1. 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस
2. 01 मोटर साइकिल

————